फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री मांगीलाल — विपक्षी : श्री तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा – 136 भू.रा.अधि. — पत्रावली संख्या : 151/22

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 28.06.2023

पत्रावली प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई का पेश करने पर प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प आकोला में तलब की गई। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकॅर्ड में अपना नाम अशुद्ध होने से दुरस्त किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी के कथानानुसार मौजा वाणियातलाई पटवार हल्का वाणियातलाई तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या 164, 166, 105, 106, 107, 167, 168, 176 में प्रार्थी का नाम लोगर पुत्र शंकर जाति रावत दर्ज रेकॅर्ड है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम मांगीलाल पिता शंकरलाल जाति रावत है जिसे संशोधित कर राजस्व रेकॅर्ड में प्रार्थी का नाम मांगीलाल पिता शंकरलाल जाति रावत अंकित किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया की लोगर पिता शंकरलाल रावत जो राजस्व रेकॅर्ड में अंकित है यह मांगीलाल पिता शंकर का ही बचपन का नाम है। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रार्थी का नाम लोगर पिता शंकर रावत के बजाय मांगीलाल पिता शंकर रावत किये जाने की अनुशंषा की। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे कार्यालय ग्राम पंचायत वाणियातलाई का शपथ पत्र पेश किया गया जिसमें प्रमाणित किया की प्रार्थी को बचपन में लोगर के नाम से जानते थे जिसका राजस्व रेकॅर्ड में इसी नाम से अंकन कर दिया गया जबकि प्रार्थी का सही नाम मांगीलाल पिता शंकर है। प्रार्थी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र व केशा पिता नवला, डालु पिता नवला के शपथ पत्र पेश किये। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में, आधार कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, बिजली बिल पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम मांगीलाल पिता शंकरलाल रावत अंकित है। अतः तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट व अनुशंषा व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकॅर्ड में गलत अंकन होने से उसे दुरस्त किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा वाणियातलाई पटवार हल्का वाणियातलाई तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या 164, 166, 105, 106, 107, 167, 168, 176 में प्रार्थी का नाम लोगर पिता शंकर जाति रावत के बजाय मांगीलाल पिता शंकरलाल जाति रावत संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लि[illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.07.24 15:50:22 IST
Reason: SelfAttested

([illegible]का जाखड़ RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर